

महिलाओं के अधिकार एवं विकास

डॉ रेखा सुमन, अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय मेहगांव, जिला भिण्ड

शोध सारांश

महिलाओं के अधिकार क्या हैं और कौन-कौन से हैं। किसी विशिष्ट दायरे में परिभाषित नहीं किये जा सकते। हर वो अधिकार जो आम नागरिक के हैं, वे महिलाओं के भी हैं। सामान्यतः महिलाओं को पुरुषों के समान ही सारे अधिकार स्वतः प्राप्त हैं। खाना-पीना, अच्छा रहना, पढ़नालिखना आदि। किन्तु प्रायः देखा गया है कि जन्मजात नैसर्गिक अधिकार जो महिलाओं को पुरुषों के समान मिलने चाहिये, वे उसे नहीं मिल पाते। जन्म से लड़की-लड़के के भेदभाव की वजह से नारी को उसके स्वाभाविक एवं नैसर्गिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

कुंजी शब्द : महिला, अधिकार, विकास

पुरुष प्रधान समाज की संरचना में स्त्री पुरुष में भेदभाव ज्वादा ही उजागर रहते हैं। इसके अलावा हमारी गुलाम संकीर्ण मानसिकता भी स्त्री को पुरुष के समकक्ष मानने एवं उसके बराबरी के अधिकार देने में आड़े आती है।¹ अशिक्षा इस भेदभाव को और अधिक बढ़ाती है क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति अधिकार और कर्तव्य में भेद नहीं कर सकता। शिक्षा हमारे मस्तिष्क को विकसित करती है। कारण जो भी हो, प्राचीन काल से आज तक स्त्री के मानवीय अधिकारों का हनन जारी है और आज के आधुनिक युग में भी हो रहा है। जबकि हमारा संविधान स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने को कृत संकल्प है।² यही नहीं, हमारा कानून भी महिलाओं के संरक्षण को अपना मानता है।

भारत में महिला मानव अधिकार –

महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समय-समय पर काफी प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है³ कि 'हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव व्यक्ति की गरिमा व मूल्य में तथा पुरुष व स्त्री के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकारों की घोषणा की गयी है।⁴ इसके भारत के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार माना गया है जो निम्नानुसार वर्णित है।

भाग-2 – अनुच्छेद 9 पक्षकार राज्य महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के निमित्त सभी उपयुक्त उपाय करेंगे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए पुरुषों की बराबरी के अधिकार और पुरुषों तथा महिलाओं की समानता के आधार पर निम्नलिखित स्थितियाँ सुनिश्चित हो सकें –

- (क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन वृत्ति और व्यावसायिक मार्गदर्शन के प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के लिए समान स्थितियाँ।
- (ख) समान पाठ्यचर्या, समान परीक्षा, समान स्तर की योग्यताओं वाले शिक्षक समूह और समान स्तर के स्कूली परिसरों और उपकरणों की सुलभता।
- (ग) सह-शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक अन्य प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर और विशेष रूपसे पाठ्य पुस्तकों और स्कूली कार्यक्रमों में संशोधन और शिक्षा के तरीकों में अनुकूलन करके सभी स्तरों और सभी रूपों की शिक्षा में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं की हर रुढ़िवादी अवधारणा को समाप्त।
- (घ) छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य अध्ययन अनुदानों से लाभ उठाने के समान अवसर।
- (क) सभी मनुष्य के अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार
- (ख) रोजगार के समान अवसरों का अधिकार, जिसमें रोजगार के लिए चयन के मामलों के समान मापदण्ड लागू किया जाना होगा।
- (ग) पेशों और नौकरी के स्वतंत्र चुनाव का अधिकार तरक्की, नौकरी की सरक्षा और सेवा के सभी लाभों तथा शर्तों का अधिकार और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें अपेंटिसशिप उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
- (घ) समान मूल्यों के कार्य के लिए अन्य लोगों के साथ समान पारिश्रमिक और समान व्यवहार का अधिकार एवं कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन में समान व्यवहार का अधिकार।
- (द) विवाह या मातृत्व के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध विभेद को रोकने के लिए तथा उनके काम करने के कारगर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के पक्षकार राज्य निम्नलिखित के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे
 - (1) जहाँ दण्ड के तौर पर बर्खास्तगी आवश्यक हो, उस स्थिति को छोड़कर गर्भावस्था या प्रसूति अवकाश के आधार पर बर्खास्तगी के निषेध और वैवाहिक स्थिति के आधार पर बर्खास्तगी में विभेद के निषेध के लिए।
 - (2) नौकरी छूटने या वरीयता अथवा सामाजिक भत्ते खोने के किसी खतरे के बिना, वेतन के साथ तुल्य सामाजिक लाभों के साथ प्रसूति अवकाश की व्यवस्था आरंभ करने के लिए।
 - (3) माता-पिता अपने कार्य के दायित्वों के साथ ही परिवार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें और सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकें।

अनुच्छेद 11 –

- (1) इस अधिनियम के पक्षकार राज्य स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे, ताकि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के आधार पर स्वास्थ्य संरक्षण सेवाओं की, जिनमें परिवार नियोजन से संबंधित सेवाएँ भी समाविष्ट हैं की सुलभता सुनिश्चित हो सके।

- (2) इस अधिनियम के पक्षकार राज्य महिलाओं के लिए गर्भावस्था, प्रसूति और प्रसूत्योत्तर अवधि के संबंध में उपयुक्त सेवाएं सुनिश्चित करेंगे, और जहाँ जरूरी होगा, वहाँ निशुल्क सेवाएं सुलभ करेंगे, तथा गर्भावस्था और स्तन्यकाल में उनके लिए पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करेंगे।

अनुच्छेद 12 –

- (1) इस अधिनियम के पक्षकार राज्य ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिकाएँ, जिनमें अर्थव्यवस्था के अमुद्रीकृत क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भी शामिल है।
- (2) ग्रामीण महिलाएँ पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर ग्रामीण विकास में भाग लें और उनसे लाभ उठाएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के पक्षकार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे और खास तौर से ऐसी स्त्रियों के लिए निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
- (क) विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर भाग लेने का अधिकार।
- (ख) पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा, सुरक्षा सुविधाओं की, जिनमें परिवार नियोजन के क्षेत्र में सूचना परामर्श और सेवाओं का भी समावेश है।
- (ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से लाभ उठाने का अधिकार।
- (घ) सभी प्रकार का औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें कार्यात्मक साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण और शिक्षा तथा साथ ही उनकी तकनीकी कुशलता बढ़ाने के लिए सामुदायिक और विस्तार सेवाओं के लाभों का भी समावेश है।
- (ङ) रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक अवसरों की समान सुलभता प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों का संगठन करने का अधिकार।
- (च) सभी सामुदायिक कार्यकलापों में भाग लेने का अधिकार।

अनुच्छेद 13 –

इस अधिनियम के पक्षकार राज्य कानून के समक्ष महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समानता प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 14 –

इस अधिनियम के पक्षकार राज्य विवाह और पारिवारिक रिश्तों से संबंधित सभी मामलों में महिलाओं के विरुद्ध विभेद मिटाने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे। खास तौर से पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर निम्नलिखित समान अधिकार सुनिश्चित करेंगे

निष्कर्ष – भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होते हुए भी कमजोर है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। सरकार ने भी महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये, जिससे महिलाएं आधुनिक जीवन शैली के साथ जुड़ते हुए, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। नारी के स्तर को सुधारने के लिए महिला आयोग' बहुत सी योजना बना रहा है। जिससे उसे रोजगार में समानता का अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का उत्तम प्रबंध किया गया है।

सुझाव –

- प्रत्येक महिला को ऊपर उठकर आना होगा। जिससे वह अपना अधिकार खुद मांग सकें।
- महिलाओं को उत्पादन स्त्रोतों शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में बराबरी का अधिकार दिया जाए।
- प्रत्येक परिवार की यह जिम्मेदारी है कि बालिकाओं को समुचित शिक्षा, पोषण तथा अन्य गतिविधियों का ध्यान रखें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वशिष्ठ, सरिता (2010) – महिला सशक्तिकरण कल्पना प्रकाशन नई दिल्ली।
2. शर्मा, प्रज्ञा (2011) – 'महिला विकास और सशक्तिकरण' अविष्कार पब्लिशर्स जयपुर।
3. पेढारकर, डॉ. सुषमा (2001) – मध्यप्रदेश में महिला विकास की चुनौतियाँ मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
4. नेत्रा (2011) – 'भारत में नारी सशक्तिकरण एवं महिला आरक्षण' मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन।